



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240812  
CG-DL-E-05122022-240812

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5430]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944

No. 5430]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5662(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
सारा-148बी	(हरियाणा/राजस्थान सीमा- पनियाला (कोटपुतली के निकट) – अलवर – बुटियाणा खंड) (राजस्थान राज्य में)	91.413 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/5/2022-पी ऍंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2022

**S.O. 5662(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

**TABLE**

<b>National Highways No.</b>	<b>Section of National Highways</b>	<b>Chainage</b>
(1)	(2)	(3)
NH-148B	(Haryana/Rajasthan border –Paniyala (near Kotputli)-Alwar-Butiyana Section)  (In the State of Rajasthan)	91.413 Km.

[F. No. NH-14013/5/2022-P&amp;M]

RAJESH GUPTA, Director